राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः प.1(6)प्र.सु./अनु.–3/2017 जयपुर, दिनांक 27 SEP 2018

संबंधित विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषय :– लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को इस विभाग द्वारा पूर्व में किये गये विभाग आवंटन में राज्य स्तरीय गठित समिति द्वारा किये गये विभाग परिवर्तन के परिपेक्ष्य में उन्हे नव आवंटित विभाग में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.8.2018 के क्रम में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा आपके विभाग को नियुक्ति दिये जाने हेतु आवंटित किया गया था। नियुक्त अभ्यर्थियों को आवंटित विभाग में परिवर्तन हेतु अनुतोष दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2018 को एक पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया । समिति द्वारा ऑनलाइन प्राप्त परिवेदनाओं पर अनुतोष प्रदान कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त संबंधित कार्मिकों की सूची आपको प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये गये थे कि संबंधित कार्मिकों को नव आवंटित विभाग/जिले हेतु कार्यमुक्त करें ताकि वे अपने नवीन विभाग/जिले में कार्यभार ग्रहण कर सकें ।

उक्त निर्देशों की पालना नही करने संबंधी अनेकों कार्मिकों के अभ्यावेदन राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं जिनमें सामान्य रूप से यही तथ्य अंकित है कि उन्हे उनके विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कार्यमुक्त नही किया जा रहा है।

अतः आपके विभाग में कार्यरत परिवेदना संबंधित कार्मिकों को उनके नव आवंटित विभाग में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं । संबंधित विभागाध्यक्षों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विभाग में आवंटित कार्मिकों को उनके गृह जिले अथवा विभिन्न परिस्थितियों के कारण इच्छित जिले में पदस्थापन परिवर्तन कर यथाशीघ्र समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कर इकजाई सूचना इस विभाग को भिजवायें, ताकि उक्त परिवर्तन की अनुपालना की सूचना उच्च स्तर पर भिजवाया जाना सम्भव हो सके।

(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है :–</u>

1.सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, राजभवन, जयपुर ।
2.प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3.वरि.उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4.निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
5.निजी सचिव समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
6.संबंधित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7.संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
8.संबंधित विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
9.रक्षित पत्रावली।

(रवि शंकर श्रीवास्तव)
अति.मुख्य सचिव